अनुदान संख्या–14 (आयोजनागत)
लेखाशीर्षक–2515001010020–42

प्रेषक,

निदेशक, पंचायती राज,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

आहरण एवं वितरण अधिकारी,
पंचायती राज निदेशालय, उत्तर प्रदेश।

संख्याः 1/शा0/98/2016–1/216/2016 लखनऊः दिनांक 26 अक्टूबर, 2016

विषयः वित्तीय वर्ष 2016–17 अनुदान संख्या–14 आयोजनागत मद में पंचायत भवनों की वाल पेन्टिंग हेतु रू0–1320.00 लाख की धनराशि का आवंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक विशेष सचिव, पंचायती राज अनुभाग–3, उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या–58/2016/2338/33–3–2016–100(20)/2016 दिनांक 03 अक्टूबर, 2016 (प्रति संलग्न) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016–17 अनुदान संख्या–14 आयोजनागत मद में पंचायत भवनों की वाल पेन्टिंग हेतु रू0–1320.00 लाख (रूपया तेरह करोड़ बीस लाख मात्र) की स्वीकृति निदेशक, पंचायती राज, उ0प्र0 के निवर्तन पर रखे जाने की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गई है। अतः उक्त स्वीकृत धनराशि रू0–1320.00 लाख (रूपया तेरह करोड़ बीस लाख मात्र) निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आवंटित की जाती हैः–

1–आवंटित की जा रही धनराशि के व्यय के सम्बन्ध में वित्त (आय–व्ययक) के अनुभाग–1 के कार्यालय ज्ञाप सं0–1/2016/बी–1–746/दस–2016–231/2016 दिनांक 22 मार्च, 2016 एवं वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–2 के कार्यालय ज्ञाप सख्या–20/2016/बी–2–1275/दस–2016–244/2016, दिनांक 22–08–2016 में उल्लिखित निर्देशों का कड़ाई से अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2– उक्तानुसार आवंटित धनराशि व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल और फाइनेन्सियल हैण्ड बुक के नियमों तथा अन्य अस्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार के नियमों अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो तो उसमें व्यय करने से पहले ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

3– उक्तानुसार आवंटित धनराशि का आहरण तभी किया जायेगा जब इसका भुगतान सीधे संबंधित ठेकेदार को कार्य के सम्पन्न करने के उपरान्त किया जाना होगा। धनराशि आहरित कर किसी भी बैंक अथवा पी0एल0ए0 में नही रखी जायेगी।

4– उपरोक्त के सम्बन्ध में यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त आवंटित धनराशि निदेशक, पंचायती राज, उ0प्र0 के निर्वतन पर रखे जाने के संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन (एलाटमेन्ट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नही देता है। जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

5–इस सम्बन्ध में समय–समय पर निर्गत शासनादेशों मे दिए गए दिशा–निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए उक्त आवंटित की जा रही धनराशि के विरूद्ध निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त कर सम्पूर्ण विवरण/सूचनायें परीक्षण/सत्यापन हेतु लेखा एवं बजट अनुभाग को उपलब्ध करायी जाय।

6– उक्तानुसार आवंटित धनराशि के संबंध में विभिन्न अनुदानों के अन्तर्गत बजट में प्राविधानित धनराशि का आवंटन/वितरित धनराशि के समक्ष किये गये व्यय पर नियंत्रण के संबंध मे शासनादेश सं0–बी–1–1195/दस–16/94, दिनांक 06–06–1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

7– उक्तानुसार आवंटित धनराशि के संबंध में व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के संबंध में वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। इसके साथ–साथ

राजकीय धन व्यय करने में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर–12 में दी गयी शर्तों की पूर्ति तथा वि औचित्य के मानकों (स्टैण्डर्स आफ फाइनेन्सियल प्रोपाइटी) का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

8–उक्त मद पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016–17 में आयोजनागत मद अनुदान संख्या–14 के लेखाशीर्षक "2515–अन्य ग्राम विकास कार्यकम–101–पंचायती राज आयोजनागत–20–पंचायत भवनों की वाल पेन्टिंग–42–अन्य व्यय के नामें डाला जायगा।

9– वाल पेन्टिंग योजना का स्वरूप निर्धारण एवं योजनाका कियान्वयन किये जाने के लिए दिशा–निर्देश/कार्य योजना के स्वरूप का निर्धारण हेतु निर्गत कार्यालय ज्ञाप संख्या–2307/33–3–2016, दिनांक 09–09–2016 के निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। केवल भुगतान की प्रकिया निम्नलिखित प्रस्तर–10 के अनुसार होगी।

10– वाल पेन्टिग का कार्य सूचना विभाग द्वारा कराया जायेगा। सूचना विभाग के माध्यम से टेण्डर करवाने और अनुमोदन करने के उपरान्त वेण्डर/वेण्डर्स द्वारा ज्यों–ज्यों कार्य सम्पन्न किया जायेगा त्यों–त्यों वेण्डर/वेण्डरों को, किये गये वाल पेन्टिग कार्यो का भौतिक सत्यापन मुख्य विकास अधिकारी द्वारा करने के उपरान्त, देय धनराशि का भुगतान पंचायती राज विभाग द्वारा वेण्डर/वेण्डरो को किया जायेगा।

11– योजना के सही रूप में कियान्वयन एवं तत्पश्चात उसके भुगतान और नियमानुसार कटौतियों का सम्पूर्ण दायित्व निदेशक, पंचायती राज, उ0प्र0 का होगा।

12–आहरण वितरण अधिकारी द्वारा धनराशि का आहरण तिथि, बाउचर संख्या, आहरण की धनराशि सूचना निर्धारित रूपपत्र बी0एम0–4 पर बजट एवं लेखा अनुभाग को तत्काल उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। आवंटित धनराशि बजट मैनुअल से संबंधित नियमों तथा शासन के अन्य आदेशों द्वारा विनियमित होगी।

13–उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन किये जाने पर आहरण एवं वितरण अधिकारी इसके लिए स्वयं उत्तरदायी होगे।

14– धनराशि का पूर्ण उपभोग हो जाने पर उपभोग प्रमाण–पत्र निर्धारित रूपपत्र पर महालेखाकार उ0प्र0 इलाहाबाद तथा निदेशालय को उपलब्ध कराया जाये।

प्रमाणित किया जाता है कि यह आवंटन निदेशालय के आवंटन रजिस्टर के पृष्ठ संख्या–157 पर अंकित है।

संलग्नः–उक्तानुसार।

भवदीय,

(अनिल कुमार दमेले)
निदेशक,
पंचायती राज, उत्तर प्रदेश।

संख्याः1/शा0/98 /1/2016 उक्तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी), उ0प्र0, इलाहाबाद।
2– वरिष्ठ उपमहालेखाकार स्थानीय निकाय (लेखा परीक्षा एवं लेखा), चौथा तल, 15–1, महर्षि दयानन्द मार्ग, सत्यनिष्ठा भवन, उ0प्र0, इलाहाबाद–211001.
3– प्रमुख सचिव, पंचायती राज विभाग, उ0प्र0 शासन।
4– उपसचिव, वित्त (व्यय नियंत्रण)अनुभाग–2, उ0प्र0 शासन।
5– निदेशक, सूचना विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
6– समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
7– समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
8– मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
9– उप निदेशक(पं0)/योजना प्रभारी, पंचायती राज निदेशालय, उ0प्र0।
10– एस0पी0एम0यू0 सेल, पंचायती राज निदेशालय, उ0प्र0 को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।

(केशव सिंह)
मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी,
पंचायती राज, उत्तर प्रदेश।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2016-2017

आवंटन दिनांक-26/10/2016

प्रेषण संख्या:- 1-sha-98-2016-1-216-2016

आवंटन आदेश संख्या:- 001-216-2016

अनुदान संख्या:- 14 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज)(वित्तीय वर्ष 2016-2017 का आवंटन)

लेखाशीर्षक:- 2515 - अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम(आयोजनागत-मतदेय)

101 - पंचायती राज

20 - पंचायत भवनों की वाल पैंटिंग

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		42-अन्य व्यय	योग
1	जवाहर भवन, लखनऊ-2287-निदेशक, पंचायती राज, उ0प्र0 , लखनऊ-01-पंचायत राज निदेशालय	वर्तमान प्रगामी	132000000 132000000	132000000 132000000
	योग	वर्तमान प्रगामी	132000000 132000000	132000000 132000000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया तेरह करोड़ बीस लाख

महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया तेरह करोड़ बीस लाख

(केशव सिंह)

मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी

3